कार्यवृत्त

सोमवार, 29 माघ, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 18 फरवरी, 2019)

खण्ड–53
अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या –1 के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 01 पुकारे जाने पर मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में राज्य के जवान शहीद हो रहे हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए निधन के निदेश पहले ले लें और उसके पश्चात् सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाय। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वास्तव में यह पूरे देश के लिए बहुत दुःखद घटना है। आज चूंकि बजट का प्रस्तुतीकरण भी होना है जो एक बाध्यता है। इसके दृष्टिगत इसे निधन के निदेश के क्रम पर ले लिया जायेगा। नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह द्वारा पुनः निधन के निदेश लिये जाने के अनुरोध पर संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मा0 नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इस क्रम में आज की कार्य सूची में क्रम संख्या–3 पर अंकित निधन के निदेश को पहले ले लिया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने जम्मू–कश्मीर में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल तथा अन्य जवानों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी जम्मू–कश्मीर में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल तथा अन्य जवानों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी शोकोद्गार व्यक्त कियेः–

1. श्री प्रीतम सिंह,
2. श्री गणेश जोशी,
3. श्री राम सिंह कैड़ा,
4. श्री मुन्ना सिंह चौहान,
5. श्री करन माहरा,
6. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल।

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि मेजर विभूति शंकर ढौडियाल जिन्होंने वीरतापूर्वक आतंकवादी हमले का मुकाबला करते हुए घायल हुए। आज दिनांक 18 फरवरी, 2019 को 12 बजकर 45 मिनट पर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया किन्तु 02 बजकर 20 मिनट पर वे देश के लिये शहीद हो गये और इनके साथ ही तीन जवानों ने भी देश के लिये शहादत दी है। मैं उनके प्रति सम्मानित सदन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि अत्यन्त दुःख का विषय है कि देश की रक्षा में सदैव समर्पित 40 जवानों की दिनांक 14 फरवरी, 2019 को हुई शहादत के बाद पुनः मेरे उत्तराखण्ड के लाल मेजर

चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए। समाचारों के अनुसार एक विस्फोटक डिवाइस को निरोधन करते समय वे शहीद हुए।

कल मैं शहीद बिष्ट जी के पिता से मिला व आधे घण्टे साथ रहा, उन्होंने जिस प्रकार अपने पुत्र की बातें बताई व 07 मार्च, 2019 को उसकी शादी भी निर्धारित थी, किन्तु वे वीरगति को प्राप्त हुए। निश्चित रूप से मैं अन्दर तक हिल गया।

आज पुनः मेजर विभूति शंकर ढौडियाल व अन्य जवानों के शहीद होने की खबर प्राप्त हुई है। देश की माटी के लाल जवानों की आतंकवादी हमले में शहादत मन को उद्वेलित कर देती है। वे भी तो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के जीवनसाथी, किसी के मित्र थे। वे भी आराम की नौकरी या अन्य रोजगार कर सकते थे परन्तु मातृ भूमि की सेवा में अपने को लगाने का उन्होंने निर्णय इसलिये लिया क्योंकि इस माटी से उन्हें प्यार था।

ऐसे होनहारों का इस प्रकार असमय चले जाना मन को अन्दर से झकझोर देता है। ऐसे होनहारों के जाने से उनके परिवारों में क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना से ही मन सिहर उठता है। देश के सपूतों की शहादत पूरे देश को भी शोक से भर देती है। लेकिन इस घड़ी में पूरा देश उनके परिवारों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। दुश्मन चाहे जो भी कर ले वह अपने नापाक इरादों में कभी सफल नहीं हो सकता। देश एक होकर ऐसे आतंकवाद के दानव का सामना कर उसका अन्त करेगा।

मेरा यह विचार है कि यह समय आत्म संयम बनाये रखने का है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति, जन–जन का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित इस राष्ट्रीय दुःख विपत्ति के समय एक हों एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति समर्पण भाव रखें। यह उन वीर सपूतों के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

मैं सदन की भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए मृतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सदन में व्यक्त की गई शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचा दी जायेगी।

सभी सदस्य दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट मौन खड़े हुए।

तत्पश्चात श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 43 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर उत्तरित माने गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

1. श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल — विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्राम वाछम, बधियाकोट, सुराग क्षेत्र में अभी तक विद्युतीकरण न होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

2. श्री धन सिंह नेगी	नई टिहरी शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये ग्रेविटी पेयजल योजना अथवा टयूबवैल से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री महेश सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत वि0 ख0 चौखुटिया में नवसृजित संस्था राजकीय पालिटैक्निक का संचालन न होने से क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	लोक निर्माण का कार्यालय रा0 मा0 खण्ड लो0 नि0 विभाग रूड़की वर्तमान में रा0 मा0 खण्ड लो0 नि0 वि0 देहरादून में स्थानान्तरित होने से समस्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण/समायोजन हरिद्वार में कराये जाने के सम्बन्ध में। **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**
5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	10 वर्षों से भी अधिक समय से स्वीकृत मोटर मार्गों पर आज तक कार्य प्रारम्भ न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
6. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत सिंचाई की गम्भीर समस्या होने पर भी नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में।
7. श्री राजेश शुक्ला	पंतनगर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान न मिल पाने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 की उपधारा (1) के उपबन्ध के अधीन अधिसूचित कठिनाई निवारण आदेश संख्या 988, दिनांक 23.11.2017 आदेश सं0–31, दिनांक 08.01.2019, आदेश सं0–82,दिनांक 24.01.2019, आदेश सं0–83, दिनांक 24.01.2019 एवं आदेश संख्या 84, दिनांक 24.01.2019 को सदन के पटल पर रखा।

श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या–06, 07 एवं 08 पर अंकित याचिका को उपस्थित करने हेतु मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल का नाम पुकारा गया किन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सभा अलचौना की कलसा नदी से अलचौना जीर्ण–शीर्ण सिंचाई नहर के सुधारीकरण के सम्बन्ध में'' श्री हरीश पाण्डे पुत्र श्री शिवदत्त पाण्डे, ग्राम अलचौना, पो0 चाकी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक में ई–हेल्थ सेन्टर टैलीमेडिसिन होने के बाद भी जनता को सुविधा न मिलने के सम्बन्ध में''

श्री दीपक बर्गली पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, ग्राम व पो0 ओखलकाण्डा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सलेडी की अपर सलेडी सिंचाई नहर का टैंण्डर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री दयाल चन्द्र बेलवाल पुत्र श्री गोपालदत्त, ग्राम सलेडी, पो0 अमृतपुर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री हरीश सिंह, श्री करन माहरा, श्रीमती ममता राकेश तथा श्री प्रीतम सिंह की कुल 05 सूचना प्राप्त हुई हैं। इनमें से वे श्री हरीश सिंह, श्री करन माहरा तथा श्रीमती ममता राकेश की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–58 की सूचना की ग्राहयता पर विचार व्यक्त करने हेतु मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह, श्री करन माहरा तथा श्रीमती ममता राकेश का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में कतिपय टंकण त्रुटियों के निवारण हेतु पृष्ठ संख्या–22 के बिन्दु (23 के प्रस्तर 1 की द्वितीय पंक्ति में ''तेईस सौ करोड़ रूपये'' के स्थान'' 23.67 करोड़ रूपये'' एवं पृष्ठ संख्या–30 के बिन्दु (34 के प्रस्तर 2 की द्वितीय पंक्ति में ''स्थापित'' के स्थान पर ''प्रस्तावित'' शब्द पढ़े जाने की अनुमति प्रदान की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार से कहा कि क्या वे राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं। मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने संशोधन का प्रस्ताव पर बल दिया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के समय विपक्ष के मा0 सदस्यों के अनुपस्थित होने के क्रम में श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा श्री विनोद कण्डारी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 35 मिनट पर अपराह्न 04:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

04:00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया।

05 बजकर 15 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

05 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्न असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20) 2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय।''

उपर्युक्त असरकारी संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

आज की कार्यसूची के मद संख्या 24(2) पर श्री अध्यक्ष द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने हेतु हाजी फुरकान अहमद का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री देशराज कर्णवाल ने नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार ने नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदसय, विधान सभा ने नियम–54 की निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की:–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

उपर्युक्त सूचना पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक

नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2019 की बैठक में दिनांक 20 फरवरी से 22 फरवरी, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिनांक 19 फरवरी, 2019 – अवकाश

दिनांक 20 फरवरी, 2019

1. आय–व्ययक (वर्ष 2019–2020) पर सामान्य चर्चा
2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण (15 मिनट)
3. भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण (30 मिनट)

दिनांक 21 फरवरी, 2019 (गुरूवार)

1. सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण (30 मिनट)

अनुदान संख्या 05 निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

08 आबकारी, विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

18 सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

20 सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान

26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

13 जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

24 परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

16 श्रम और रोजगार, आवास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

दिनांकः 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार)

अनुदान संख्या 29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

27 वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

01 विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।

02 राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। –तदैव–

03 मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। –तदैव–

04 न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। –तदैव–

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

09 लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।

10 पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

14 सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

19 ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

21 ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

22 लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

23 उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

25 खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

1. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।

<u>विगत सत्र के असरकारी संकल्प</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

2. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त

वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

4. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

5. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

6. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुननिर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

8. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

9. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

10. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि,

बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय''।

11. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

13. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

<u>विगत सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

3. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

4 श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

6. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

<u>विगत सत्र के नियम–54 की सूचना</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

2. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद

हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

- श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारीः—

''सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यमंत्रणा की सिफारिश की सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा ादन को दी गई है से सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम—53 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :—

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो जिला बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में रजिस्ट्रार ऑफिस खुलवाने के सम्बन्ध में है, को नियम— 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री प्रदीप बत्रा की सूचना जो क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में राज्य के 50 बैड से कम वाले हॉस्पिटलों को एक्ट के दायरे से बाहर रखने के सम्बन्ध में है, को नियम— 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में लांजी पोखनी द्विंग सड़क का निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में, श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम—53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरिद्वार में नशाबन्दी/शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में, श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम—53 के अंतर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में एन0सी0आर0टी0 गाइड लाईन के अनुसार बी0पी0एड0 प्रशिक्षितों को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में, श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम—53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में भांग की खेती बन्द किये जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम—53 के अंतर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 50 मिनट पर बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।